पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1315
दिनांक 31.07.2026

पारिवारिक न्यायालय में प्रचलित वादों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं प्रयास से माह जून में 19 पीडिताओं को कुल ₹ 1,69,500/- व माह जुलाई में 43 पीडिताओं को कुल ₹ 5,43,500/- का गुजारा भत्ता दिलाया गया।

वर्ष 2012 से चल रहे लम्बित वादों व माह अप्रैल 2026 से अब तक कुल लम्बित वादों की 153 पीड़िताओं को कुल ₹ 18,95,100/- का गुजारा भत्ता दिलाया गया।

- **महिला एवं अपराध शाखा द्वारा सम्बन्धित थानों, न्यायालय प्रशासन एवं प्रतिवादियों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित कर करायी गयी कार्यवाही।**
- **पुलिस कर्मियों द्वारा सम्बन्धित प्रतिवादियों से व्यक्तिगत वार्ता एवं निरन्तर सम्पर्क कर न्यायालयीय आदेशों का कराया गया अनुपालन।**
- **माननीय न्यायालय के आदेशों का लाभ पीड़िताओं तक पहुंचाने के लिए पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी से मिली आर्थिक राहत।**
- **पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा पीड़िताओं को न्यायालयीय आदेशों का लाभ दिलाने हेतु आगे भी प्रभावी पैरवी एवं समन्वय जारी रखने की प्रतिबद्धता।**

01-कार्यवाही-

माननीय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लखनऊ श्री पंकज मिश्रा , के निर्देशन में तथा **पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरूण गाबा** के निर्देशन में तथा **संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, लखनऊ श्रीमती अपर्णा कुमार** के मार्गदर्शन में, **पुलिस उपायुक्त, महिला एवं अपराध, लखनऊ श्रीमती ममता रानी** द्वारा पारिवारिक न्यायालय में प्रचलित वादों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु लगातार प्रभावी पैरवी एवं समन्वय की कार्यवाही करायी जा रही है।

पुलिस के निरन्तर प्रयासों एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सम्बन्धित प्रतिवादियों द्वारा **कुल ₹ 18,95,100/- (अठाहर लाख पंचान्वें हजार सौ रुपये)** की धनराशि **153 पीड़िताओं के पक्ष में** माननीय न्यायालय में गुजारा भत्ता के रूप में जमा करायी गयी।

02-कुल - 153 पीड़िताओं को मिला ₹ 18,95,100/- का गुजारा भत्ता

दिनांक **01.07.2026** कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों से सम्बन्धित पारिवारिक न्यायालय में प्रचलित कुल **153 वादों** में **माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों** के अनुपालन में सम्बन्धित प्रतिवादियों से वार्ता एवं समन्वय स्थापित किया गया।

पुलिस के निरन्तर प्रयासों एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सम्बन्धित **प्रतिवादियों द्वारा कुल ₹ 18,95,100/- (अठाहर लाख पंचान्वें हजार सौ रुपये)** की धनराशि **153 पीड़िताओं के पक्ष में** माननीय न्यायालय में गुजारा भत्ता के रूप में जमा करायी गयी।

03-सम्बन्धित प्रतिवादियों से व्यक्तिगत वार्ता कर कराया गया न्यायालयीय आदेशों का अनुपालन

- माननीय पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पीड़िताओं को वास्तविक लाभ दिलाने के उद्देश्य से सम्बन्धित **प्रतिवादियों से पृथक-पृथक वार्ता** एवं **प्रभावी समन्वय** स्थापित किया गया।
- **महिला एवं अपराध शाखा** द्वारा **सम्बन्धित थानों** तथा माननीय न्यायालय **के प्रशासनिक अधिकारी/पैरोकार से लगातार समन्वय स्थापित कर** प्रचलित वादों की स्थिति एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की जानकारी प्राप्त की गयी।
- **महिला मुख्य आरक्षी नम्रता सेंगर** एवं **महिला आरक्षी अंजली बाजपेई** द्वारा सम्बन्धित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करते हुए सम्बन्धित प्रतिवादियों से वार्ता की गयी तथा न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन हेतु निरन्तर प्रयास किये गये।
- पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये निरन्तर प्रयासों, व्यक्तिगत सम्पर्क एवं प्रभावी समन्वय के परिणामस्वरूप 153 पीड़िताओं के पक्ष में **कुल ₹ 18,95,100/- की धनराशि माननीय न्यायालय में जमा करायी गयी।**
- उक्त धनराशि विभिन्न वादों में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमा करायी गयी, जिसमें **थाना गाजीपुर के एक वाद में सर्वाधिक ₹ 1,70,000/- की धनराशि जमा करायी गयी है।**

04-पुलिस की प्रभावी पैरवी से पीड़िताओं को मिली आर्थिक राहत

माननीय न्यायालय के आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु पुलिस, सम्बन्धित थानों एवं न्यायालय प्रशासन के मध्य स्थापित किये गये प्रभावी समन्वय तथा सम्बन्धित प्रतिवादियों से की गयी निरन्तर वार्ता के फलस्वरूप 153 पीड़िताओं को न्यायालयीय आदेशों का लाभ प्राप्त हुआ और उन्हें कुल ₹ 18,95,100/- की आर्थिक राहत मिली।

05-आगे भी जारी रहेगी प्रभावी पैरवी एवं समन्वय

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा पारिवारिक न्यायालयों में प्रचलित वादों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पीड़िताओं को वास्तविक लाभ दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी, सम्बन्धित थानों एवं न्यायालय प्रशासन के मध्य समन्वय तथा आवश्यक कार्यवाही आगे भी निरन्तर जारी रखी जायेगी।

-श्रीमती ममता रानी पुलिस उपायुक्त महिला एवं अपराध

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1321
दिनांक-31.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां

थाना महिगवां पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने वाले प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

01- कार्यवाही विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त उत्तरी व अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी एवं सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के पर्यवेक्षण तथा थाना महिगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 129/2025 धारा 105/115(2)/352/351(3)/191(2) बीएनएस थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ से सम्बन्धित प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त सूरज पुत्र स्व0 रामजीवन निवासी ग्राम खंतारी, थाना महिगवां, लखनऊ, उम्र लगभग 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.10.2025 को वादी श्री सुभाष कुमार गौतम पुत्र मुन्नू लाल गौतम निवासी बराखेमपुर लखनऊ द्वारा थाना महिगवां पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया था कि विपक्षीगणो द्वारा वादी के निवास पर आकर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुये वादी के पिता मुन्नूलाल को लाठी डण्डो से जान से मारने की नियत से मारना पीटना एंव जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 129/2025 धारा 105/115(2)/352/351(3)/191(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के क्रम मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त जो विगत एक वर्ष से पुलिस से बचकर भाग रहे थे की तलाश चल रही थी जिसके सम्बन्ध में मुखबिर खास से सटीक सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त सूरज उपरोक्त बेहटा पुल के नीचे एक मोटरसाइकिल पर बैठा है। सूचना मिलते ही दिनांक 31.07.2026 थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया।

03- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध थाना महिगवां में मुकदमा पंजीकृत होने के कारण वह गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपकर रह रहा था।

04- अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा पूर्व नियोजित रूप से एकराय होकर रात्रि में वादी के घर पहुंचे अपने साथ लाये लाठीडण्डों से -बचाव करने -वादी के पिता मुन्नूलाल पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ प्रहार कर गंभीर चोटें पहुंचाईं तथा बीच पर वादी, उसके भाई एवं बहन के साथ भी मारपीट की। घटना के उपरान्त अभियुक्तगण पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

05- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अभियुक्त सूरज पुत्र स्व0 रामजीवन निवासी ग्राम खंतारी, थाना महिगवां, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 23 वर्ष ।

06-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 129/2025 धारा 105/115(2)/352/351(3)/191(2) बीएनएस, थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अन्य थानों से ज्ञात किया जा रहा है।

07- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम, थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ-

1. श्री राधेश्याम मौर्य, थानाध्यक्ष (टीम प्रभारी)
2. उ0नि0 अजय पाल
3. का0 लालबहादुर (चालक)
4. का0 दिनेश कुमार यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1316
दिनांक-31.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर

- **थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण तथा धमकी देने के अभियोग में नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01 कार्यवाही विवरणः-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर श्री प्रद्युमन कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण तथा धमकी देने के अभियोग में नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

- दिनांक-30.07.2026 को वादिनी मुकदमा आकांशा गुप्ता निवासिनी-सेक्टर एम थाना आशियाना लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-325/2026, धारा-108/352/351(3) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ बनाम वरुण श्रीवास्तव निवासी-सेक्टर D चुंगी पराग रोड एल.डी.ए. कालोनी, नामित अभियुक्त द्वारा वादिनी की बहन के साथ शारीरिक व आर्थिक शोषण किया गया व विरोध करने पर गाली गलौज व जान माल की धमकी देना, जिससे आहत होकर पीडिता द्वारा दिनांक-29.07.2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत है।
- अभियोग के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 02 टीमों का गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों/स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से सुरागरसी पतारसी करते हुये आज दिनांक-31.07.2026 को माता जी की बगिया, एलडीए-2 थाना कृष्णानगर लखनऊ से अभियुक्त वरुण श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया।

03- अभियुक्त से पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त वरुण श्रीवास्तव ने पूछताछ कि गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त की मृतका से काफी समय से जान-पहचान एवं निकट संबंध थे। इस दौरान दोनों के बीच विवाद होने लगे थे। मृतका द्वारा लगातार शादी करने एवं आर्थिक सहायता की मांग की जाती थी, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। दिनांक-29.07.2026 को भी दोनों के बीच विवाद एवं बातचीत हुई थी। अभियुक्त द्वारा मृतका से अभद्र व्यवहार करते हुए उसे अपशब्द कहे गए तथा धमकी दी गई। जिससे आहत होकर अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी होने के बाद अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से इधर-उधर छिपता फिर रहा था, जिसे आज थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01-वरूण श्रीवास्तव पुत्र वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासी ईडी सेक्टर डी एल.डी.ए कालोनी थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र-41 वर्ष।

- शिक्षा-B.Tech, (व्यवसाय-इलेक्ट्रानिक दुकान)

04-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0-325/2026, धारा-108/352/351(1) बीएनएस थाना कृष्णानगर, लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- प्रभारी निरीक्षक श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह, थाना कृष्णानगर,लखनऊ।
- उ0नि0 श्री विनीत कुमार, थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
- का0-अनीश रंजन, थाना कृष्णानगर, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1319
दिनांक-31.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- इटौंजा

- **थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण -

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराधियो एवं वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त उत्तरी व अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना इटौजा के कुशल नेतृत्व में वाद संख्या-1143/13 मु0अ0सं0 49/13 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटौंजा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी को गिरफ्तार किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 31.07.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा जारी सम्बन्धित वाद सं0-1143/13 मु0अ0सं0 49/13 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटौंजा जनपद लखनऊ से संबंधित नफर वारंटी 01आलम पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मो0 कटरा कस्बा महोना थाना इटौजा लखनऊ उम्र 40 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर उसके खेत से माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र दिखाते हुए हिरासत पुलिस लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता व व्यवसाय

01-आलम पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मो0 कटरा कस्बा महोना थाना इटौजा लखनऊ उम्र 40 वर्ष व्यवसाय - कृषि

04. आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 49/13 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटौंजा जनपद लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना इटौंजा लखनऊ:-

1. उ0नि0 अंकुर कुमार
2. उ0नि0 सर्वेश कुमार
3. का0 पपिन कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1322
दिनांक-31.07.2026

जोन-पश्चिमी/ कोतवाली- दुबग्गा

- **कोतवाली दुबग्गा लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को 01अदद देसी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

आज दिनांक 31.07.2026 को कोतवाली दुबग्गा की पुलिस टीम द्वारा 01 अदद देसी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद करते हुए मु0अ0सं0 0230/2026 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 31.07.2026 को कोतवाली दुबग्गा लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 अदद देसी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी करते हुए अभियुक्त शिवम साहू पुत्र सिद्धनाथ साहू निवासी ग्राम बरावन कला कोतवाली दुबग्गा लखनऊ उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

जिससे कडाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि मै करीब 4 – 5 वर्ष पहले इसी तमंचे व कारतूस के साथ एक फोटो खीची थी जिसको मै लोगो को दिखाकर रौब झाडता था और उसकी फोटो को मैने अपने दोस्त को भेज दी थी जिसने गाँव के लोगो को दिखा दिया जिससे मै चर्चा मे आ गया अगर मै वो फोटो अपने दोस्त को नहीं भेजता तो पकडा न जाता जिसके पश्चात उक्त बरामदगी के आधार पर फर्द तैयार करते हुए कोतवाली दुबग्गा लखनऊ पर मुकदमा अपराध सख्या 0230/2026 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शिवम साहू पुत्र सिद्धनाथ साहू निवासी ग्राम बरावन कला कोतवाली दुबग्गा लखनऊ उम्र 29 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मुकदमा अपराध संख्या 0230/2026 धारा 3/25 आयुध अधि0 कोतवाली दुबग्गा लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्रीकान्त राय कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
2. उ0नि0 लवकुश कुमार कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
3. उ0नि0 देवेन्द्र यादव कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
4. का0 महेन्द्र कुमार कोतवाली दुबग्गा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

ANTI HUMAN TRAFFICKING

प्रेस नोट सं0-1318

दिनांक 31.07.2026

अपराध शाखा / थाना ए.एच.टी. कमि0 लखनऊ

ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग 9 माह से गुमशुदा मानसिक रूप से दिव्यांग 14 वर्षीय बालक को सकुशल बरामद, परिजनों से कराया गया मिलान।

01-कार्यवाही-

श्रीमान तरुण गाबा पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, श्रीमती अपर्णा कुमार संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध वं मुख्यालय, श्रीमान बबलू कुमार संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान अनिल कुमार यादव पुलिस उपायुक्त अपराध महोदय , श्रीमती किरन यादव अपर पुलिस उपायुक्त अपराध महोदया के कुशल निर्देशन में तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त-अपराध महोदय के पर्यवेक्षण में थाना ए.एच.टी लखनऊ द्वारा गुमशुदा बालक उज्जल सिंह उम्र करीब 14 वर्ष को किया गया सकुशल बरामद ।

02-मुकदमे का विवरण-

दिनांक 09.11.2025 को थाना मड़ियांव कमिश्नरेट लखनऊ पर वादिनी श्रीमती नीतू सिंह पत्नी पवन सिंह निवासी 21बी दाऊदनगर फैजुल्लागंज पावर हाउस के पीछे वार्ड थाना मड़ियांव लखनऊ की तहरीरी सूचना पर अपने पुत्र उज्जल सिंह उम्र करीब 14 वर्ष के दिनांक 06.11.2025 को गुमशुदा होने के सम्बन्ध मे थाना मड़ियांव पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसकी तत्कालीन विवेचना उ0नि0 राजदीप चौधरी थाना मड़ियांव लखनऊ द्वारा की गयी । तत्पश्चात श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के आदेश पर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना थाना ए0एच0टी0 में स्थानान्तरित की गयी ।

03-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.11.2025 को मानसिक रूप से दिव्यांग 14 वर्षीय बालक उज्ज्वल सिंह अपने घर से लापता हो गया था। इस संबंध में दिनांक 09.11.2025 को थाना मड़ियांव पर गुमशुदगी का अभियोग पंजीकृत किया गया। बालक की तलाश हेतु लगातार प्रयास किए गए तथा बाद में प्रकरण की विवेचना थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT) को स्थानांतरित कर दी गई।

गुमशुदा होने के अगले दिन दिनांक 07.11.2025 को थाना बी.के.टी. पुलिस को उक्त बालक लावारिस अवस्था में मिला। मानसिक रूप से दिव्यांग होने के कारण वह अपना नाम, पता अथवा अपने परिजनों के संबंध में कोई जानकारी नहीं बता सका। थाना बी.के.टी. पुलिस द्वारा तत्काल बालक को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति (CWC) के आदेशानुसार राजकीय बाल गृह (शेल्टर होम) भेज दिया गया। पहचान स्थापित न हो पाने के कारण बालक को आश्रय गृह में अज्ञात बालक के रूप में दर्ज कर संरक्षण प्रदान किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस उपायुक्त अपराध श्रीमती किरन यादव के निर्देशन में थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT) की टीम द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत विभिन्न जनपदों, आश्रय गृहों एवं अन्य संभावित स्थानों का लगातार सत्यापन किया जा रहा था। दिनांक 27.07.2026 को राजकीय बाल गृह, पी.पी. मार्ग, मोहन रोड, लखनऊ में उपलब्ध अभिलेखों एवं गुमशुदा बालक के फोटोग्राफ का मिलान करने पर उसकी पहचान उज्ज्वल सिंह के रूप में हुई। इसके उपरांत उसके परिजनों को बुलाकर पहचान कराई गई, जिन्होंने बालक की पुष्टि की। इस प्रकार लगभग 9 माह बाद बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों से मिलाया गया व विधिक कार्यवाही करते हुए सकुशल परिजनो को सुपुर्द कर दिया गया।

05-बरामदगीः-

- मुकदमा उपरोक्त में गुमशुदा बालक उज्जल सिंह उम्र 14 वर्ष की बरामदगी की गयी।

06-बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1-प्रभारी निरीक्षक दशरथ सिंह थाना ए0एच0टी0 कमिश्नरेट लखनऊ

2-उ0नि0/विवेचक दिनेश कुमार मिश्रा थाना ए0एच0टी0

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1317

दिनांक-31.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक बिजनौर श्री कपिल गौतम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

- दिनांक-27.05.2026 को वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना बावत दिनाँक-26.07.2026 को वादिनी की नाबालिग बेटी उम्र करीब 15 वर्ष जो शाम घर से टहलने के लिए निकली थी व घर वापस नही आने के सम्बन्ध में थाना बिजनौर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।
- पीड़िता की बरामदगी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। टीमों द्वारा टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के द्वारा दिनांक-29.07.2026 को पीड़िता को बरामद किया गया तथा विधिक कार्यवाही करते हुए पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्त गोविन्द पुत्र वीरपाल निवासी बदकनी काकोली थाना नवाबगंज जनपद फरुर्खाबाद उम्र करीब 21 वर्ष का नाम प्रकाश में आया, जिसे मु0अ0सं0-194/2026, धारा-137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में मुखबीर की सूचना पर दिनांक-31.07.2026 को चन्द्रावल नहर की पुलिया पर सड़क के किनारे से अभियुक्त को हिरासत पुलिस मे लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

03-पूछताछ विवरणः-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त की गोवर्धन खेडा गांव मे रिश्तेदारी है। अभियुक्त अपने घर से गोवर्धनखेडा आता जाता रहता था। वही अभियुक्त के रिश्तेदार के घर के पास में रहने वाली पीडिता उपरोक्त से अभियुक्त की मित्रता हो गयी थी। अभियुक्त व पीड़िता की मित्रता पिछले दो साल से चल रहा है। अभियुक्त पीड़िता से शादी करना चाहता हैं। इसलिये दिनांक-26.07.2026 को पूर्व योजना के मुताबिक अभियुक्त पीड़िता का बहलाफुसलाकर अपने साथ फर्रूखाबाद ले गया था। जब अभियुक्त को पता चला की पीड़िता के मम्मी पापा ने थाने में मुकदमा लिखवा दिया है, तब अभियुक्त पीड़िता को दिनांक-29.07.2026 ग्राम चन्द्रावल के पास आम की बाग में छोडकर चला गया था। आज मैं पीड़िता से मिलने के लिये आया था कि आप लोगो नें मुझे पकड़ लिया, मुझ से गलती हो गयी मुझे माँफ कर दीजिये।

04- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

01-गोविन्द पुत्र वीरपाल निवासी बदकनी काकोली थाना नवाबगंज जनपद फरुर्खाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

02-मु0अ0सं0-194/2026, धारा-137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना बिजनौर लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- अति0 निरीक्षक आनन्द कुमार द्विवेदी थाना बिजनौर लखनऊ
2- उ0 नि0 राजकुमार थाना बिजनौर लखनऊ
3- उ0 नि0 तेजवीर सिंह थाना बिजनौर लखनऊ
4- का0 बृजेश गौड़ थाना बिजनौर लखनऊ
5- का0 सुशील कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1317
दिनांक-31.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

01-कार्यवाही विवरणः-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक बिजनौर श्री कपिल गौतम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

02-संक्षिप्त विवरणः-

- दिनांक-27.05.2026 को वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना बावत दिनाँक-26.07.2026 को वादिनी की नाबालिग बेटी उम्र करीब 15 वर्ष जो शाम घर से टहलने के लिए निकली थी व घर वापस नही आने के सम्बन्ध में थाना बिजनौर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
- पीड़िता की बरामदगी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था । टीमों द्वारा टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के द्वारा दिनांक-29.07.2026 को पीड़िता को बरामद किया गया तथा विधिक कार्यवाही करते हुए पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्त गोविन्द पुत्र वीरपाल निवासी बदकनी काकोली थाना नवाबगंज जनपद फरुर्खाबाद उम्र करीब 21 वर्ष का नाम प्रकाश में आया, जिसे मु0अ0सं0-194/2026, धारा-137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में मुखबीर की सूचना पर दिनांक-31.07.2026 को चन्द्रावल नहर की पुलिया पर सड़क के किनारे से अभियुक्त को हिरासत पुलिस मे लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है ।

03-पूछताछ विवरणः-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त की गोवर्धन खेडा गांव मे रिश्तेदारी है। अभियुक्त अपने घर से गोवर्धनखेडा आता जाता रहता था । वही अभियुक्त के रिश्तेदार के घर के पास में रहने वाली पीडिता उपरोक्त से अभियुक्त की मित्रता हो गयी थी। अभियुक्त व पीड़िता की मित्रता पिछले दो साल से चल रहा है। अभियुक्त पीड़िता से शादी करना चाहता हैँ इसलिये दिनांक-26.07.2026 को पूर्व योजना के मुताबिक अभियुक्त पीड़िता का बहलाफुसलाकर अपने साथ फर्रूखाबाद ले गया था । जब अभियुक्त को पता चला की पीड़िता के मम्मी पापा ने थाने में मुकदमा लिखवा दिया है, तब अभियुक्त पीड़िता को दिनांक-29.07.2026 ग्राम चन्द्रावल के पास आम की बाग में छोडकर चला गया था । आज मैं पीड़िता से मिलने के लिये आया था कि आप लोगो नें मुझे पकड़ लिया, मुझ से गलती हो गयी मुझे माँफ कर दीजिये ।

04- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

01-गोविन्द पुत्र वीरपाल निवासी बदकनी काकोली थाना नवाबगंज जनपद फरुर्खाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

02-मु0अ0सं0-194/2026, धारा-137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना बिजनौर लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- अति0 निरीक्षक आनन्द कुमार द्विवेदी थाना बिजनौर लखनऊ
2- उ0 नि0 राजकुमार थाना बिजनौर लखनऊ
3- उ0 नि0 तेजवीर सिंह थाना बिजनौर लखनऊ
4- का0 बृजेश गौड़ थाना बिजनौर लखनऊ
5- का0 सुशील कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1320
दिनांक-31.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- अलीगंज

- **थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

मा0 न्यायालय श्रीमान स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट मेन लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद संख्या 166/2019, मु0अ0सं0 313/2017 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट थाना अलीगंज लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर अभि0 राम नरेश पुत्र नन्हा निवासी LDA अपार्टमेंट के पीछे झोपड़पट्टी थाना अलीगंज लखनऊ को उसके निवास स्थान झोपड़पट्टी से समय करीब 05.30 बजे दिनांक 31.07.2026 को गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

नाबालिग बालिका के साथ बहला-फुसलाकर,अपरहण कर दुष्कर्म करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01-राम नरेश पुत्र नन्हा निवासी LDA अपार्टमेंट के पीछे झोपड़पट्टी थाना अलीगंज लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना अलीगंज

1. उ0नि0 श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना अलीगंज कमिश्नरेट लखनऊ
2. आरक्षी विपिन कुमार वर्मा थाना अलीगंज कमिश्नरेट लखनऊ
3. आरक्षी दीपेश कुमार थाना अलीगंज कमिश्नरेट लखनऊ